सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ आर0ए0एस0

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 39/2017

1. महेन्द्रकुमार पुत्र मनसुख राम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नं.4, मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत मन्नीवाली पंचायत समिति सादुलशहर।

अप्रार्थी

निगरानी विरूद्व ग्राम पंचायत मन्नीवाली तहसील सादुलशहर द्वारा दिनांक 30.08.2017 को एक नोटिस द्वारा आवेदक के अहाता नम्बर 44 जो जरिये बैयनामा खरीद किया हुआ है पर अतिक्रमी का नोटिस देकर कब्जा हटाने हेतु आदेश दिया, विधि विरूद्व है।

उपस्थित : 1. श्री प्रेमप्रकाश मक्कड, अधिवक्ता, निगरानीकर्ता
2. श्री सुरेश अरोडा अधिवक्ता गैर निगरानीकर्ता।

आदेश दिनांकः—18.5.2018

हस्तगत निगरानी अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई, जिसके सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि " आवेदक के खिलाफ अप्रार्थी ग्राम पंचायत मन्नीवाला रंजिश की वजह से आवेदक के अहाते पर अतिक्रमण मानकर तोडने के लिए जो नोटिस दिया है वह पूर्णतः विधि विरूद्व है। आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2017 को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि वार्ड संख्या 4 के अलावा वार्ड संख्या 6,7,9 में अन्य कब्जाधारी पश्चिम साईड-- जिनका नाम चानाराम, सोहनलाल, प्रहलाद, दीवान, बनवारीलाल, महेन्द्र, रामलाल,लालचन्द, कृष्ण लाल, राधेराम , श्रीचन्द, दक्षिण साईड के —चौथूराम , पप्पूराम, इन्द्राज, मोमनराम, चानणराम, सोहनलाल महेन्द्र कुमार, लेखराम, बिहारीलाल, धर्माराम आदि और वार्ड नंम्बर 4,6,7,9 व अन्य वार्डो में व गांव के चारों तरफ फिरनी बनी हुई है और आवेदक द्वारा श्रीमान के यहां भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और सचिव, सरपंच व विकास अधिकारी के यहां भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उक्त व्यक्तियों द्वारा फिरनी पर नाजायज रूप से कब्जा करके मकान बना रखे है और यह निवेदन किया कि आवेदक के साथ उन व्यक्तियों के पट्टे के अनुसार और आवेदक के पट्टे अनुसार मौके पर जांच की जावे और समस्त व्यक्तियों द्वारा जो फिरनी पर मकान बना रखा है समान रूप से पश्चिम और दक्षिण में कब्जा कर रखा है। पैमाईश की जाकर यदि आवेदक का मकान भी अतिक्रमी की परिभाषा में आता है तो समान रूप से उनके पट्टों के अनुसार जांच की जाकर सब के मकान जितने—जितने मकान अतिक्रमण में आते है उनको भी तोडा जावें। आवेदक के खिलाफ द्वेष पूर्वक कार्यवाही की जा रही है, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अतिक्रमण हटाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आवेदक द्वारा श्रीमान के यहां व विकास अधिकारी के यहां व सरपंच व सचिव के यहां भी

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं की जा रही है, बल्कि आवेदक को तंग व परेशान किया जा रहा है। आवेदक को ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्व गैर कानूनी रूप से जो नोटिस आदि की कार्यवाही की जा रही है वह पूर्णतः निरस्त किये जाने योग्य है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया नोटिस को निरस्त किया जावे और समस्त व्यक्तियों के पट्टों की जांच करके समान रूप से निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की जावें।

निगरानी से संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि ''आवेदक के खिलाफ अप्रार्थी ग्राम पंचायत मन्नीवाला रंजिश की वजह से आवेदक के अहाते पर अतिक्रमण मानकर तोडने के लिए जो नोटिस दिया है वह पूर्णतः विधि विरूद्व है। आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र दिनांक 28.07.2017 को इस आश्य का प्रस्तुत किया कि वार्ड संख्या 4 के अलावा वार्ड संख्या 6,7,9 में अन्य कब्जाधारी पश्चिम साईड– जिनका नाम चानाराम, सोहनलाल, प्रहलाद, दीवान, बनवारीलाल, महेन्द्र, रामलाल,लालचन्द, कृष्ण लाल, राधेराम , श्रीचन्द, दक्षिण साईड के –चौथूराम , पप्पूराम, इन्द्राज, मोमनराम, चानणराम, सोहनलाल महेन्द्र कुमार, लेखराम, बिहारीलाल, धर्माराम आदि और वार्ड नंम्बर 4,6,7,9 व अन्य वार्डो में व गांव के चारों तरफ फिरनी बनी हुई है और आवेदक द्वारा श्रीमान के यहां भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और सचिव, सरपंच व विकास अधिकारी के यहां भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उक्त व्यक्तियों द्वारा फिरनी पर नाजायज रूप से कब्जा करके मकान बना रखे है और यह निवेदन किया कि आवेदक के साथ उन व्यक्तियों के पट्टे के अनुसार और आवेदक के पट्टे अनुसार मौके पर जांच की जावे और समस्त व्यक्तियों द्वारा जो फिरनी पर मकान बना रखा है समान रूप से पश्चिम और दक्षिण में कब्जा कर रखा है। पैमाईश की जाकर यदि आवेदक का मकान भी अतिक्रमी की परिभाषा में आता है तो समान रूप से उनके पट्टों के अनुसार जांच की जाकर सब के मकान जितने–जितने मकान अतिक्रमण में आते है उनको भी तोडा जावें। आवेदक के खिलाफ द्वेष पूर्वक कार्यवाही की जा रही है, जबकि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अतिक्रमण हटाये जाने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आवेदक द्वारा श्रीमान के यहां व विकास अधिकारी के यहां व सरपंच व सचिव के यहां भी निवेदन किया परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही सन्तोषजनक नहीं की जा रही है, बल्कि आवेदक को तंग व परेशान किया जा रहा है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया नोटिस को निरस्त किया जावे और समस्त व्यक्तियों के पट्टों की जांच करके समान रूप से निष्पक्ष रूप से कार्यवाही की जावें।

गैरनिगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत सुश्री अंजू यादव की अध्यक्षता में दिनांक 05.09.2017 को ग्राम पंचायत मन्नीवाली की पाक्षिक बैंठक में प्रस्ताव संख्या 02 पारित किया गया जिसमें वार्ड पंचों की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी (निगरानीकर्ता) अहाता संख्या 32 में नोहरा एवं अहाता संख्या 34 में घर बनाकर निवास कर रहा है, जिसका साईज

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

100X38 वर्गफीट है। प्रार्थी गांव की पश्चिमी कृषि सीमा से 3–4 फीट गली में बढा हुआ प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 में निगरानीकर्ता को अतिक्रमी मान लिया गया है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज होने योग्य है।

हस्तगत निगरानी में निगरानीकर्ता को जारी नोटिस के सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि सरपंच ग्राम पंचायत मन्नीवाली सुश्री अंजू यादव की अध्यक्षता में दिनांक 05.09.2017 को ग्राम पंचायत मन्नीवाली की पाक्षिक बैंठक में प्रस्ताव संख्या 02 पारित किया गया जिसमें वार्ड पंचों की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी (निगरानीकर्ता) अहाता संख्या 32 में नोहरा एवं अहाता संख्या 34 में घर बनाकर निवास कर रहा है, जिसका साईज 100X38 वर्गफीट है। प्रार्थी गांव की पश्चिमी कृषि सीमा से 3–4 फीट गली में बढा हुआ प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 में निगरानीकर्ता को अतिक्रमी मान लिया गया है। अतः निगरानीकर्ता को जारी नोटिस न्यायसंगत है। निगरानीकार के विरूद्व पृथमदृष्टया मामला पाये जाने की रिपोर्ट एवं प्रस्ताव के अनुसरण में विधिक कार्यवाही के तहत नोटिस दिनांक 30.08.2017 को जारी किया गया है जिसके क्रम में ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्व कोई कार्यवाही अमल में लाया जाना रिकॉर्ड पर नहीं है। निगरानीकार को यदि उसको जारी निगरानीधीन नोटिस के अनुक्रम में ग्राम पंचायत द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही की गई है या कोई अन्य आदेश पारित किया है तो वह उसका विधिक उपचार प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। निगरानीधीन नोटिस ग्राम पंचायत मन्नीवाली द्वारा की गई किसी परिपूर्ण कार्यवाही का पूर्णतः निस्तारण नहीं है लिहाजा निगरानी सारहीन है। उपरोक्त विवेचन एवं ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सख्या 02 दिनांक 05.09.2017 के आलोक में निगरानी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें

आदेश आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्री गंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)